न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**
प्रकरण संख्या – 01/2023

अनवान : –

1. सुणाराम पुत्र हरचन्द जाति नायक निवासी भोगराना तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकार्ड दुरस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री हंसराज अधिवक्ता **प्रार्थी**
राजपेरोकार

निर्णय दिनांक: 12/4/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 97/101 के ख0न0 257 की 5.4630है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि में प्रार्थी का नाम सोहन पुत्र हरचन्द है जबकि प्रार्थी का सही एव वास्तविक नाम सुणाराम पुत्र हरचन्द है जो प्रार्थी के सभी दस्तावेजों यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र तथा रोही मौजा भोगराना के खाता स0 65/67 जमाबंदी सम्वत 2074–2077 आदि में दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भुमि का सही प्रकार से उपयोग उपभोग नही कर पा रहे है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को काफी मर्तबा कहा की प्रार्थी का सही नाम कर देवे जिस पर अप्रार्थी कुछ दिन तो आजकल आजकल करता रहा आखिरकार इन्कार हो गया इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम सुणाराम पुत्र हरचन्द दुरूस्त करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीदार नोहर के पत्रांक 3694 दिनांक 08.03.2023 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रेषित की गई कि सोहन पुत्र हरचन्द के स्थान पर सुणाराम पुत्र हरचन्द किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:04:24 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। [illegible] प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम सुणाराम पुत्र हरचन्द है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सोहन पुत्र हरचन्द दर्ज हो गया जिससे प्रार्थी को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है। अत: मुताबिक प्रार्थी के दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकार्ड में सही नाम दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

उपखण्डाधिकारी (मुख्यालय)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 97/101 के ख0न0 257 की 5.4630है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, जिसमें प्रार्थी अपना नाम सोहन पुत्र हरचन्द के स्थान पर सुणाराम पुत्र हरचन्द दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, राशन कार्ड, परिचय पत्र तथा रोही मौजा भोगराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074-2077 के खाता स0 65/67 आदि में सही नाम सुणाराम पुत्र हरचन्द अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 निरीक्षक, पटवारी हल्का द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

अतः पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा दुर्जाना तहसील नोहर के खाता स0 97/101 के ख0न0 257 की 5.4630है0 भूमि में से 1/3 हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में **प्रार्थी सोहन पुत्र हरचन्द के स्थान पर सही नाम सुणाराम पुत्र हरचन्द किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाता है।** यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सोहन पुत्र हरचन्द के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सोहन पुत्र हरचन्द के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम सोहन पुत्र हरचन्द ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/4/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:04:24 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner